

बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 90

दर्ज तिथि:-14.02.2024

1. बाबूलाल पुत्र तगाराम
जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।

.....वादी

बनाम

1. अगरा पुत्र मांगा
2. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
3. गोविन्दा पुत्र मांगा
4. जबराराम पुत्र मानाराम
5. तेजा पुत्र मदरूपा
6. भट्ट पुत्र चेतनराम
7. मालाराम पुत्र चेतनराम
8. संतोषदेवी पत्नी चेतनराम
जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

10. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

गुडामालानी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री सुखराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

तथा

वाद संख्या:- 2025 / 548

दर्ज तिथि:-01.08.2025

1. सोभाग्यवती पत्नी सतयदेव
जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।



बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026
.....वादी

बनाम

1. अगरा पुत्र मांगा
2. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम
4. गोविन्दा पुत्र मांगा
5. जबराराम पुत्र मानाराम
6. तेजा पुत्र मदर्रुपा
7. बाबूलाल पुत्र तगाराम
8. भट्ट पुत्र चेतनराम
9. मालाराम पुत्र चेतनराम
10. रतनाराम पुत्र तेजा
11. संतोषदेवी पत्नी चेतनराम

जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

12. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश कड़वासरा

प्रतिवादीगण:- श्री एकतरफा

तथा

वाद संख्या:- 2025 / 591

दर्ज तिथि:-07.08.2025

1. बाबूलाल पुत्र तगाराम
जाति भील निवासी सीलू तहसील गुडामालानी।

.....वादी

बनाम

1. अगरा पुत्र मांगा
2. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम
4. गोविन्दा पुत्र मांगा
5. जबराराम पुत्र मानाराम
6. तेजा पुत्र मदर्रुपा
7. भट्ट पुत्र चेतनराम
8. मालाराम पुत्र चेतनराम
9. रतनाराम पुत्र तेजा
10. सोभाग्यवती पत्नी सतयदेव

बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026

11. संतोषदेवी पत्नी चेतनराम

जाति भील निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी।

12. सवाईराम पुत्र वीराराम

जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

13. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री गंगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

---निर्णय:---

निर्णय तिथि:-05.02.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1688 (विभाजित खसरा संख्या 2051/1688/6.4984 है0) तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में कुछ प्रतिवादीगण द्वारा बाद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक वादीगण की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।
3. उक्त तीनों प्रकरणों में एक ही खसरा संख्या में सभी पक्षकारों की समान इश्तदुआ एवं समान विषयवस्तु है। इसलिए तीनों प्रकरणों की एक ही प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब होकर अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।
4. प्रकरण में अभिभाषक वादी द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.05.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1906 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता वादी द्वारा मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार विभाजन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
5. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1906 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
-------------------------	---------------------

<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 24.12.2025 को तहसीलदार गुड़मालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 2746-2754 दिनांक 27.11.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.12.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 2746-2754 दिनांक 27.11.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.12.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

6. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1688 (विभाजित खसरा संख्या 2051/1688/6.4984 है0) मौजा गुड़मालानी तहसील गुड़मालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलता कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। साथ ही तहसीलदार गुड़मालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण को दावा प्रस्तुत होने एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व विधिवत रूप से पूर्वसूचित किया गया है। जिसके तामिलशुदा नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रकरण में पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा

वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफ्त में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर

निर्णय दिनांक:-05.02.2026

वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1688 (विभाजित खसरा संख्या 2051 / 1688 / 6.4984 है) मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
ओमप्रकाश पुत्र आसुराम बाबूलाल पुत्र तगाराम सवाईराम पुत्र वीराराम तेजा पुत्र मदरूपा जाति भील सा0 देह खातेदार	7891 / 27761 16632 / 27761 1619 / 27761 1619 / 27761	गुड़ामालानी	2051 / 1688 2051 / 1688	1.9101 है0 0.8660 है0	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 2 रकबा 2.7761 है0					
सोभाग्यवती पत्नी सतयदेव जाति भील सा0 भीलो की ढाणी खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.5524 है0	बा0सो0

बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026

कुल किता 01 रकबा 0.5524 है0					
सवाईराम पुत्र वीराराम जाति भील सा0 भीलो का ढाणी खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.2428 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2428 है0					
मूलाराम पुत्र हसाराम जाति भील सा0 दातीवास तहसील भीनमाल खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.1132 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.1132 है0					
तेजा पुत्र मदरूपा जाति भील सा0देह खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.7155 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.7155 है0					
अगरा पुत्र मांगा गोविन्दा पुत्र मांगा जाति भील सा0 देह खातेदार	837 / 6435 5598 / 6435	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.6435 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6435 है0					
अर्जुनराम पुत्र भानाराम जबराराम पुत्र भानाराम भट्ट पुत्री चेतनराम मालाराम पुत्र चेतनराम संतोष देवी पत्नी चेतनराम जाति भील सा0देह खातेदार	809 / 12201 809 / 12201 3703 / 12201 3703 / 12201 3177 / 12201	गुड़ामालानी	2051 / 1688	1.2201 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2201 है0					
राजस्थान सरकार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.2348 है0	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2348 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।


बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591

निर्णय दिनांक:—05.02.2026

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी



बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 90

दर्ज तिथि:-14.02.2024

1. बाबूलाल पुत्र तगाराम
जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।

.....वादी

बनाम

1. अगरा पुत्र मांगा
2. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
3. गोविन्दा पुत्र मांगा
4. जबराराम पुत्र मानाराम
5. तेजा पुत्र मदरूपा
6. भट्ट पुत्र चेतनराम
7. मालाराम पुत्र चेतनराम
8. संतोषदेवी पत्नी चेतनराम
जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

10. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री सुखराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

तथा

वाद संख्या:- 2025 / 548

दर्ज तिथि:-01.08.2025

1. सोभाग्यवती पत्नी सतयदेव
जाति भील निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी।

.....वादी

बनाम

1. अगरा पुत्र मांगा

बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026

2. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम
4. गोविन्दा पुत्र मांगा
5. जबराराम पुत्र मानाराम
6. तेजा पुत्र मदरूपा
7. बाबूलाल पुत्र तगाराम
8. भट्ट पुत्र चेतनराम
9. मालाराम पुत्र चेतनराम
10. रतनाराम पुत्र तेजा
11. संतोषदेवी पत्नी चेतनराम

जाति भील निवासी गुढामालानी तहसील गुड़ामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

12. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री जगदीश कडवासरा
प्रतिवादीगण:- श्री एकतरफा

तथा

वाद संख्या:- 2025 / 591

दर्ज तिथि:-07.08.2025

1. बाबूलाल पुत्र तगाराम
जाति भील निवासी सीलू तहसील गुड़ामालानी।

.....वादी

बनाम

1. अगरा पुत्र मांगा
2. अर्जुनराम पुत्र मानाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम
4. गोविन्दा पुत्र मांगा
5. जबराराम पुत्र मानाराम
6. तेजा पुत्र मदरूपा
7. भट्ट पुत्र चेतनराम
8. मालाराम पुत्र चेतनराम
9. रतनाराम पुत्र तेजा
10. सोभाग्यवती पत्नी सतयदेव
11. संतोषदेवी पत्नी चेतनराम
जाति भील निवासी गुढामालानी तहसील गुड़ामालानी।
12. सवाईराम पुत्र वीराराम
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026

13. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री गंगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश कड़वासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--:संयुक्त पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1688 (विभाजित खसरा संख्या 2051 / 1688 / 6.4984 है) मौजा गुडामालानी तहसील गुडामालानी मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
ओमप्रकाश पुत्र आसुराम बाबूलाल पुत्र तगाराम सवाईराम पुत्र वीराराम तेजा पुत्र मदरूपा जाति भील सा0 देह खातेदार	7891 / 27761 16632 / 27761 1619 / 27761 1619 / 27761	गुडामालानी	2051 / 1688 2051 / 1688	1.9101 है0 0.8660 है0	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 2 रकबा 2.7761 है0					
सोभाग्यवती पत्नी सतयदेव जाति भील सा0 भीलो की ढाणी खातेदार	पूर्ण	गुडामालानी	2051 / 1688	0.5524 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.5524 है0					
सवाईराम पुत्र वीराराम जाति भील सा0 भीलो का ढाणी खातेदार	पूर्ण	गुडामालानी	2051 / 1688	0.2428 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2428 है0					
मूलाराम पुत्र हसाराम जाति भील सा0 दातीवास तहसील भीनमाल खातेदार	पूर्ण	गुडामालानी	2051 / 1688	0.1132 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.1132 है0					

बाबूलाल बनाम अगरा
2024 / 90
सोभाग्यवती बनाम अगरा
2025 / 548
बाबूलाल बनाम अगराराम
2025 / 591
निर्णय दिनांक:-05.02.2026

तेजा पुत्र मदरूपा जाति भील सा0देह खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.7155 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.7155 है0					
अगरा पुत्र मांगा गोविन्दा पुत्र मांगा जाति भील सा0 देह खातेदार	837 / 6435 5598 / 6435	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.6435 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6435 है0					
अर्जुनराम पुत्र भानाराम जबराराम पुत्र भनाराम भट्ट पुत्री चेतनराम मालाराम पुत्र चेतनराम संतोष देवी पत्नी चेतनराम जाति भील सा0देह खातेदार	809 / 12201 809 / 12201 3703 / 12201 3703 / 12201 3177 / 12201	गुड़ामालानी	2051 / 1688	1.2201 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2201 है0					
राजस्थान सरकार	पूर्ण	गुड़ामालानी	2051 / 1688	0.2348 है0	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2348 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले। नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी